

तारिख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 15/2024

16-12-2025

गैरसायल प्रकाश कुमार पुत्र सुरताराम, जाति- हीरागर, निवासी- विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, हाल-हाउसिंग बोर्ड, मानुपर, आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही को इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारन्ट की पालना में पुलिस थाना आबूरोड़ शहर द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में आज इस न्यायालय में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर पत्रावली आज पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल प्रकाश कुमार, पुलिस अभिरक्षा में उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को सिरौही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने अनुरोध किया कि वह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है व जुआं संबंधी अपराधों में अब लिप्त नहीं है, इसलिये प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल प्रकाश कुमार पुत्र सुरताराम, जाति- हीरागर, निवासी- विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, हाल-हाउसिंग बोर्ड, मानुपर, आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 153 दिनांक 03-4-2024; अपराध संख्या 223 दिनांक 25-6-2024 व अपराध संख्या 285 दिनांक 06-9-2024 को दर्ज हुये, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये एवं संबंधित न्यायालय द्वारा उक्त तीनों मुकदमों में गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुमाने से दण्डित किया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 223 दिनांक 25-6-2024 व अपराध संख्या 285 दिनांक 06-9-2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इनमें प्रस्तुत आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अपराध संख्या 223 दिनांक 25-6-2024 व अपराध संख्या 285 दिनांक 06-9-2024 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 06-7-2024 व 21-9-2024 के अनुसार संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुमाने से दण्डित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का गैरसायल आदि है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल प्रकाश कुमार पुत्र सुरताराम, जाति- हीरागर, निवासी- विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, हाल-हाउसिंग बोर्ड, मानुपर, आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 02 माह की अवधि के लिये उपखण्ड क्षेत्र आबूरोड़ से निष्कासित किया



.....लगातार

प्रकाश
भगवत
अधीक्षक
8-3-24



प्रति. जिला सिरौही

सिरौही-307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 15/2024	नवंबर व तारीख जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<p> <i>अभ्य राशि</i> <i>रु-358</i> </p>	<p> जाता है। उक्त निष्कासन अवधि दिनांक 17-12-2025 से लागू होगी। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड क्षेत्र, आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल उक्त निष्कासन अवधि में प्रत्येक सोमवार को पुलिस थाना क्षेत्र रेवदर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र व इसी कदर राशि का जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र व जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। अतः आदेश दिये जाते है कि गैरसायल की यदि किसी अन्य मुकदमें में आवश्यकता नहीं हो तो गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा से रिहा किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर / रेवदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। </p> <div style="text-align: right;">  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही </div> <div style="text-align: center;">  </div>	<p> <i>पुकार</i> <i>भगवान</i> </p>